

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संधित हो।



ग्राम : यूवीविसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3536

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में
परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(टी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : ऊँ शिव महाविद्यालय, करहाल, श्योपुर (म.प्र.)

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव

2. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, ऊँ शिव महाविद्यालय, करहाल, श्योपुर (म.प्र.) की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में
मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक
बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक
होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह
भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद